

FROM No.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलेक्टर (SDO) मुकाम.....

बायतु  
..... बनाव ..... देवराष्ट्र वर्मा

किस्म मुकदमा..... 128 गु.रा.प.व.प.प. नं..... 294 सन् 2017.....

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20.12.17	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ..... नरपतयुक्त ..... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... 128..... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 23.1.18 को पेश हो।</p>	
23/1/18	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/वादी के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी मिजबामे गये जिनसे एडी उन: आत नहीं हुई विप्रार्थी गण संख्या-7 स्वमें उपस्थित। जिनसे कोर से जवाब पेश नहीं किया गया। बीच विप्रार्थी गणों के नोटिस तामिली के इन्तजार में पत्रावली फाइनल दिनांक 12/02/18 को पेश है।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु</p>
12/02/18	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/वादी के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी मिजबामे गये जिनसे 30 दिन से अधिक का समय उपस्थित के चुड़ा है जिनसे कोर में कोई उपस्थित नहीं हुआ जिनसे थिलान एडलाना शर्तवादी समल में लाई जाली है। प्रार्थी के अधि-कमला की एडप्लीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु</p>

सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायतु

अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस चुनी गई, प्राची  
 के अधिवक्ता ने बलाभा की प्राची को अपने  
 प्यालेगारी खेलों के चाले कोट पक्षी नैयमबन्दी  
 सुरवाता कावश्यतु है। इसलिए प्राची का नैयमबन्दी  
 कावेदन स्वीकार किया जाइत नैयमबन्दी कादेश  
 दिया जावे। अतः प्राची का नैयमबन्दी कावेदन  
 स्वीकार किया जाइत लक्ष्मीलगाए कायतु को इमिगनर  
 नियुक्त किया जाला है व कादेश दिया जाला  
 है कि काय स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी  
 अ. कमिश्नर निरिस्तु है प्राची के प्यालेगारी खेलों  
 की पक्षी नैयमबन्दी में से पर शुल्तु जमाइताइत  
 है, पावेना रिपोर्ट प्राप्त होने पर कामित पनावली  
 दो पनावली कमल कुमार है, दर्ज नम्बर है ३५  
 है, डाकिल दफ्तर है।

  
 सहायक कलेक्टर (SDO)  
 बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 49

दिनांक:- 12/2/2018

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. देवी पत्नी रतनाराम वगैरा 3  
जाति जाट निवासी बांकनाडी,  
बायतु पनजी तह. बायतु जिला  
बाड़मेर

1. रेवन्तसिंह पुत्र हमीरसिंह वगैरा 8 निवासी  
बायतु पनजी तह. बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 294 / 17

आदेश

मौजा बांकनाडी पटवार हल्का बायतु पनजी के खेत खसरा नम्बर 563, 678 / 558 रकबा कमशः 60.08, 07.01 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(हेताराम चौहान)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 12/02/2018

क्रमांक / वाद / 2018 / 50 + 54

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का बायतु पनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकार्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण देवी पत्नी रतनाराम वगैरा 3।
4. विप्रार्थीगण श्री रेवन्तसिंह पुत्र हमीरसिंह वगैरा 8।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)

बायतु